न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

पत्रावली संख्या : 06/2019 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

जगदीश प्रसाद गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

बनाम

सुभाष चन्द पुत्र स्व0 श्री काशीराम उम्र 61 वर्ष जाति जाट विक्रेता एवं मालिक सुभाष ट्रेडिंग कम्पनी जघीना गेट भरतपुर निवासी गोपालगढ जघीना गेट भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011.

उपस्थित :– 1. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 01.08.2019

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल दिनांक 25.03.2019 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को नोटिस जारी किया गया। गैरसायल दिनांक 01.08.2019 को उपस्थिति हुआ। प्रार्थी को कई बार आवाज लगाई गई परन्तु वह उपस्थित नहीं आये। इस्तगासा की नकल गैरसायल को दी गई। नियत दिनांक 01.08.2019 को गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 16.10.2018 को दोपहर 01.00 बजे गैरसायल की दुकान का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण दुकान के डी फ्रिज में लगभग 15 पैकेट बिना प्रिन्ट एक किग्रा0 प्रति, कुल 15 किग्रा0 घी लूज का विक्रय आम जनता के इस्तेमाल के लिये कर रहा था। जिसमें शक होने पर नियमानुसार मौके पर 800 किग्रा0 घी लूज क्रय किया गया तथा उसमें से नमूना लिया गया तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक अलवर के यहां जांच हेतु भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–596/एक्ट/

2018/615 दिनांक 30.10.2018 द्वारा उक्त घी लूज का नमूना अमानक स्तर (Sub Standard) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा अमानक स्तर का घी लूज आम जनता को विक्रय कर उक्त अधिनियम की धारा 26(2) का उल्लघंन किया गया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया कि यह प्रोडेक्ट मानव सेवन के लिये कतई हानिकारक नहीं है क्योकि प्रार्थी पूजा में उपयोग करने के लिये घी का विक्रय करता है। जांच में जो कमिया पायी गई है उन्हे सहवनवश एवं प्रथम गलती स्वरूप अप्रार्थी स्वीकार करता है। जिसका मेरे द्वारा तत्समय ही सुधार कर लिया गया है। गैरसायल यह त्रुटि सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैर सायल ने स्वयं को छोटे स्तर का व्यापारी होना बताया है। भविष्य में गैर सायल अधिक सजगता बरतते हुये किसी भी खाद्य पदार्थ का आम जनता के लिये विक्रय करेगा। गैरसायल की प्रथम गलती है। अतः गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर गौर किया। वक्त निरीक्षण दिनांक 16.10.2018 को गैरसायल की दुकान से आमजनता के विक्रय हेतु संग्रहित घी लूज का नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट दिनांक 30.10.2018 में अमानक स्तर (Sub Standard) का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा घी का विक्रय पूजा के उपयोग के लिये करना बताया। गैरसायल के द्वारा भविष्य में अधिक सजगता से खाद्य पदार्थो का विक्रय किया जाना दौराने सुनवाई स्वीकार किया गया है। गैरसायल के व्यापार परिसर पर 15 किग्रा0 घी लूज ही वक्त जांच संग्रहित पाया गया है। गैरसायल छोटे स्तर का व्यापारी है क्योकि उसके पास मात्र 15 किग्रा0 घी ही संग्रहित पाया गया है तथा दौराने निरीक्षण खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी 800 ग्राम घी 160/– रूपये में क्रय किया गया है। इससे स्पष्ट है कि व्यापार परिसर पर संग्रहित 15 किग्रा0 घी की कीमत मात्र 3000/– रूपये होती है तथा इससे यह भी स्पष्ट होता है कि गैरसायल छोटे स्तर का व्यापारी है। ऐसी स्थिति में गैरसायल को भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। गैरसायल के द्वारा उक्त अनियमितता प्रथम बार किया जाना स्वीकार किया गया है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 2000/– रूपये (दो हजार रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में

जमा करावे। गैरसायल के द्वारा जुर्माना राशि जमा कोष की गई। कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दि. 01.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्याय निर्णायन अधिकारी **एवं**
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
भरतपुर